schemes have also been evolved for the scheduled castes and tribals and hill areas.

Schemes for establishment of agro-service centres and for supply of consumer articles to the rural population in general and small and needy farmers in particular have also been formulated.

The scheme for opening of retail outlets by consumer cooperative stores in cities and towns for the weaker sections has been supplemented by a specific scheme for opening of Janata shops by consumer cooperative stores exclusively for the benefit of the weakest section. The scheme would cover slums, and jhuggi-jhonpri dwellers, areas predominantly inhabitated by labourers in unorganised sectors and other backward areas identified by the state governments.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अनिवार्य जमा योजना की अदायगी के बारे में ज्ञापन

928. **श्री ईश्वर चौधरी**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अनिवार्य जमा योजना की राशि की अदायगी के बारे में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारियों पर अपने अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आधी रकम अनिवार्य रूप से जमा कराये जाने की बंदिश 9 मई, 1977 को जारी अध्यादेश के अनुसार 6 मई, 1977 से खत्म कर दी गई है। इस अध्यादेश में यह व्यवस्था भी की गई थी कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा रकम और उस पर मिलने वाले ब्याज की दूसरी किस्त जो जुलाई, 1977 में देय होगी वह नकद वापस नहीं की जाएगी बल्कि इसकी रकम कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी । अतिरिक्त महंगाई भत्ते की रकम रोकना बन्द कर दिए जाने से अर्थ व्यवस्था में हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का अधिक खर्च होगा । इसके साथ साथ यदि अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा राशि और उसके ब्याज की दूसरी किस्त जो 326 करोड़ रुपए बैठती है, नकद दे दी जाए तो इससे अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाएगा जिसका नतीजा यह होगा कि सबको और विशेष रूप से निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा । इसीलिए सरकार ने यह रकम कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करने का फैसला किया है । कर्मचारियों के संगठनों आदि से जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, उन पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार किया गया है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सरकार इस फसले को बदलना वांछनीय नहीं समझती ।

भारतीय कम्पनियों को रेफ्रीजरेटरों के निर्यात के लिए प्राप्त आदेश

929. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों को रेफ्रीजटरों के निर्यात के लिये हाल ही में कुछ आदेश मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस ब्राण्ड नाम के रफ्रीजटरों किस-किस देश को निर्यात किए जा रहे हैं और उनका निर्यात मूल्य क्या है ; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा के वार्षिक अर्जन की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जी, हां। मैसर्स केलविनेटर इंडिया लि० तथा मैसर्स हैदराबाद आलविन ने रेफ्रीजरेटरों की सप्लाई के लिये आर्डर प्राप्त किये हैं।

(ख) केलविनेटर इंडिया लि० के मामले में निर्यात इराक ईरान, और पाकिस्तान को किये जायेंग तथा हैदराबाद आलविन द्वारा विनिर्मित जम्बो रेफ्रीजरेटर के मामले में कुवैत से आर्डर प्राप्त किये गये हैं। रेफ्रीजरेटरों की भिन्न-भिन्न निर्यात कीमत उनके आकार और मेक पर निर्भर करती है।

(ग) 1977-78 के दौरान रेफ्रीजरेटरों के निर्यात से लगभग 125 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के अर्जित होने की आशा है।

Sick Tea Gardens in Darjeeling

930. SHRI NIHAR LASKAR: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to take over Kumai Tea Estate of Dooars and Okajti Tea Estate in Darjeeling;

(b) whether the recommendation for take over was made by the Committee set up by the Central Government; and

(c) if so, when the final decision is likely to be taken on other recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) to (c). The Government of India in the Ministry of Commerce appointed an investigation Committee for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of Kumai Tea Estate and Okayti Tea Estate. The Investigation Committee has submitted its reports which are under examination of Government.

Economic Offenders Detained under COFEPOSA in Gujarat

931. SHRI F. P. GAEKWARD: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) the number of economic offenders detained under COFEPOSA in Gujarat during emergency;

(b) the number of said detenus released after lifting of emergency and number of those still under detention;

(c) the reasons for their release; and

(d) the action proposed to be taken against them after their release?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) During the period of emergency, 301 smugglers and foreign exchange racketeers were detained in Gujarat under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, under orders of the Government of Gujarat and those of the Central Government.

(b) Till 31-5-1977, 95 detenus out of the said detenus were released after lifting of emergency on 21st March, 1977, and 170 persons were in detention. (The remaining 36 persons had already been released during the emergency itself.)

(c) These detenus were released on account of —

(i) lapsing of emergency provisions under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act;